न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः 766/2020 (जीसीएमएस नं. 2020/00527)

1. जगदीश प्रसाद पुत्र ताराचन्द, जाति जाट, निवासी बाकरा, तहसील व जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

——अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार भू –अभिलेख झुन्झुनू।

—— रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः–

1. श्री विजय सिंह राठौड़ एडवोकेट, अपीलान्ट की ओर से
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से

निर्णय

दिनांकः 02.11.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.11.2017 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 04.06.2020 को हुई जब अपीलान्ट अपनी खातेदारी आराजी की जमाबन्दी नकल लेने के लिऐ पटवारी हल्का के पास गया तो पता चला कि अपीलान्ट की आराजी खसरा नम्बर 1841/583 में से रास्ता दिया गया है जिस आदेश की जानकारी करने के लिये अपीलान्ट उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के कार्यालय में गया तो पता चला कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर दिनांक 21.11.2017 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिस पर दिनांक 05.06.2020 को नकल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो नकल दिनांक 05.06.2020 को आखिरी समय प्राप्त हुई। चूँकि दिनांक 6 व 7 जून का अवकाश था इसलिये यह अपील दिनांक 08.06.2020 को बिना किसी देरी के न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत की गई है। जानकारी की दिनांक व नकल आदि प्राप्त करने व अवकाश का समय मुजरा दिये जाने से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है फिर भी रफाये उज्जत दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से अपील के साथ प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट की आराजी में कभी कोई कच्चा या पक्का रास्ता या पगडंडी नही रही है और ना आज मौके पर है लेकिन पटवारी ने अपनी मर्जी से गलत रिपोर्ट बनाकर रास्ता दर्शाते हुए राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करने की अनुशंषा की है जो पटवारी हल्का की बदनियति है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी के खातेदार अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश देने से पूर्व ना तो कोई सूचना दी और ना ही किसी प्रकार को कोई नोटिस जारी किया गया जो विधि विरूद्ध एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप-6 विभाग के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 में भी यह अंकत नही किया गया है कि किसी खातदार की भूमि में से बगैर उसे सुने रास्ता दर्ज कर दिया जावें बल्कि उस परिपत्र की मंशा यह है कि जो भूमि रास्ते के काम आ रही है और रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है ऐसी आराजी को राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज किया जावें लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त परिपत्र का गलत अर्थ लगाते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.11.2017 पारित किया गया है जो विधि विधान एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.11.2017 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि रास्ते संबंधी समस्याओं के निराकरण अभियान 2016 के अन्तर्गत प्रचलित रास्तों का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु रास्ता के प्रस्ताव बनाकर कर तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। तहसीलदार झुन्झुनू की रिपोर्ट अनुसार मौके पर रास्ता चालू होने से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू द्वारा उक्त रास्ते का अंकन राजस्व रिकार्ड में किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.11.2017 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है तथा अपील अपीलान्ट मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि तहसीलदार झुन्झुनू की रिपोर्ट अनुसार अपीलान्ट की उक्त वादग्रस्त आराजी में कच्चा रास्ता अंकित है जो पगडंडी के रूप में काम आ रहा है जिसे राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की पालना में अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.11.2017 द्वारा राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के अपीलाधीन आदेश पारित किये गये है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.11.2017 को यथावत रखा जाता है।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 02.11.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।